आदेश	कार्यवाही विवरण 33/2020 फूलचन्द V/S तहसीलदार आदि [136 LRA]	अनुपलाना में क्रमांक व दिनांक
14.09.2021	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप0 एवं तहसीलदार उदयपुरवाटी उप0। तहसीलदार उदयपुरवाटी से तथ्यात्मक जांच रिर्पोट प्राप्त। बहस प्रा0 प0 मूल पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने राजस्व नक्शा में अंकित भूमि खसरा नम्बरान के इन्द्राज में शुद्धि/दुरूस्ती करवाने का निवेदन किया। बहस श्रवण करने एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात तथ्यात्मक जांच रिर्पोट दिनांक 14.09.2021 का अवलोकन करने पर पाते है कि प्रार्थी ने भूमि खसरा नम्बर 129 को जो कि तहसीलदार उदयपुरवाटी की रिर्पोट के अनुसार कुआ है, वर्तमान स्थान से हटाकर भूमि खसरा नम्बर 130 की उत्तरी पूर्वी सीमा पर कायम करने का अनुतोष चाहा है। तहसीलदार उदयपुरवाटी की फर्द मौका के अनुसार उक्त भूमि खसरा नम्बर 129 जो की पुराना कुआं था, जिसको मौका पर खुर्द बुर्द कर दिया गया है। उक्त कुआ पर चार भाईयों का शामलाती विद्युत कनेक्शन था। उक्त कुआ को खुर्द बुर्द कर खातेदारों ने भूमि खसरा नम्बर 130 की उत्तरी पूर्वी सीमा पर टयुबवैल कायम कर लिया। उपरोक्त परिपेक्ष्य में जाहिर होता है कि प्रार्थी भूमि खसरा नम्बर 130 की उत्तरी पूर्वी सीमा पर मौका पर मौजूद टयुबवैल का अंकन राजस्व रिकार्ड में करवाना चाह रहे है, तथा पुराने कुएं को नक्शा से हटवाना चाह रहे है, जो न्यायसंगत नहीं है। उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है। **आदेश** **प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है।** (राम सिंह राजावत) उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी **निर्णय आज दिनांक 14.09.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।** (राम सिंह राजावत) उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2022.06.23 12:39:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner